संख्या- / /X-2-2012-12(44)/2006

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 05 नवम्बर, 2012

विषयः- अनुदान सं0-27 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पुरोनियानित योजना "प्रोजेक्ट टाइगर" के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 की वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के पत्र सं0-15-5/2008-NTCA (Part-III) दिनांक 28 मार्च, 2009, पत्र सं0-4-1(1)/2012-PT दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 तथा पत्र सं0-4-1(1)/2012-PT दिनांक 18 अगस्त, 2012 एवं तद्क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0-नि. 694/3-6(प्रोजेक्ट टाइगर) दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत संचालित ''प्रोजेक्ट टाइगर'' योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्राविधानित आय-व्ययक के सापेक्ष पूर्व में शासनादेश संख्या-1298/X-2-2012-12(44)2006/दिनांक 23 जुलाई, 2012 से निर्गत वित्तीय स्वीकृति ₹ 136.09 लाख के अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये विभागीय प्रस्ताव के क्रम ₹ 184.825 लाख केन्द्रांश के सापेक्ष संलग्न B.M- 15 प्रपत्र पर अंकित विवरणानुसार पुर्नविनियोग सहित कुल **₹1,66,29,000/-(₹ एक करोड़ छियासठ लाख उन्तीस हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का उपयोग भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यों हेतु ही किया जायेगा.

(2) उक्त धनराशि वर्णित योजना हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित कार्य योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों/मदों पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के कियान्वयन के लिए न किया जाय.

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-321/XXVII(1)/2012, दिनांक 19 जून, 2012 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7, आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(4) बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय.

(5) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.

(6) बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्ण माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.

(7) यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो, परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि का आहरण वास्तविक मांग आधार पर किश्तों में किया जाय.

(8) अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चि किया जाय.

(10) व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के समबन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(11) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.

(12) धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.

(13) यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।

(14) मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.

(16) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथा आवश्यकतानुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के के शासनादेश सं0-1638/XXX-1-12(25)/2011 दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वैब साइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वैब साइट यदि कोई हो पर अनिवार्य रूप से प्रकाशि की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा.

(17) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1211270045 है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे.

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान सं0-27 के लेखाशीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110-वन्य जीवन परिरक्षण 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0108-"प्रोजेक्ट टाइगर" हेतु निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामे डाला जायेगा एवं इस प्रयोजन हेतु ऑन लाइन बजट आवंटन हार्ड कॉपी भी संलग्न है।

(धनराशि ₹ हजार में)

मानक मद	चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्राविधानित बजट	निर्गत वित्तीय स्वीकृति	अवशेष बजट	प्रस्तावित की जा रही वित्तीय स्वीकृति	पुर्नविनियोग
02- मजदूरी	1	0	1	6800	(+)6799
06- अन्य भत्ते	5300	713	4587	1550	(-)1049
08- कार्यालय व्यय	1000	0	1000	100	
09- विद्युत देय	1000	0	1000	0	
10- जलकर/जल प्रभार	200	0	200	0	
11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	300	0	300	200	(-)100
2- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	500	0	500	100	(-)400
13- टेलीफोन पर व्यय	500	0	500	100	
14- कार्यालय प्रयागार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	2000	0	2000	0	(-)2000
15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3000	600	2400	1800	0
16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	200	0	200	95	
18- प्रकाशन	200	0	200	160	0
20-सहायक अनुदान/ अंशदान/ राज सहायता	1000	0	1000	420	
23- गुप्त सेवा व्यय	500	0	500	50	
25- लघु निर्माण कार्य	1400	1000	400	400	
26- मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	2500	900	1600	800	(-)150

– अनुरक्षण	15000	9246	5754	3754	
42– अन्य व्यय	5000	1150	3850	300	(–)3100
44– प्रशिक्षण व्यय	1	0	1	0	
योग	39602	13609	25993	16629	

(उपरोक्तानुसार वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹एक करोड़ छियासठ लाख उन्तीस हजार मात्र)

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–103(P)/XXVII(4)/2012, दिनांक 02 नवम्बर, 2012 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है.

संलग्नक–यथोपरि.

भवदीय

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

1913

संख्या– (1)/X–2–2012, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक(वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, शिविर कार्यालय–देहरादून.
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
7. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
8. अपर सचिव, वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
9. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल.
10. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
11. निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, रामनगर(नैनीताल).
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
13. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून को पुर्नविनियोग स्वीकृति सम्बन्धी वित्त विभाग के स्वीकृति आदेश (B.M.-15) संख्या–103(P)/XXVII(4) दिनॉक 02.11.2012 एवं तदक्रम में आनलाईन पुर्नविनियोग प्रपत्र बी.एम–15 की मूल प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
15. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
16. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
17. प्रभारी, मिडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Forest (S016)

संख्या - **S1211270045** अलोटमैंट आई डी - **S1211270045**

संख्या - 027 आवंटन पत्र दिनांक - 05-Nov-2012

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

लेखा शीर्षक - 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन
02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन
110 - वन्य जीवन परिरक्षण
01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योज
08 - प्रोजेक्ट टाइगर (100%के0 स0)

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
02 - मजदूरी	0	6800000	6800000
06 - अन्य भत्ते	713000	1550000	2263000
08 - कार्यालय व्यय	0	100000	100000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की	0	200000	200000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकर	0	100000	100000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	100000	100000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्र	600000	1800000	2400000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	0	95000	95000
18 - प्रकाशन	0	160000	160000
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	420000	420000
23 - गप्त सेवा व्यय	0	50000	50000
25 - लघु निर्माण कार्य	1000000	400000	1400000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	900000	800000	1700000
29 - अनुरक्षण	9246000	3754000	13000000
42 - अन्य व्यय	1150000	300000	1450000
	13609000	**16629000**	**30238000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 16629000

आय–व्ययक प्रपत्र 15

पुनर्विनियोग विवरण पत्र 2012–13 अनुदान संख्या–27 राजस्व लेखा आयोजनागत पक्ष

नियंत्रक अधिकारी–अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड

(धनराशि ₹ हजार में)

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि		लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानांतरित की जानी है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4		5	6	7	8
2406 वानिकी तथा वन्य जीवन 02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110 वन्य जीवन परिरक्षण–0108 प्रोजेक्ट टाइगर					2406 वानिकी तथा वन्य जीवन 02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110 वन्य जीवन परिरक्षण–0108 प्रोजेक्ट टाइगर			
06–अन्य भत्ते					02–मजदूरी			
5300	713	3538	1049		6799	6800	4251	
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई								आवश्यकता
300	0	200	100				200	न होने के
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण								कारण
500	0	100	400				100	बचत
14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय								
2000	0	0	2000				0	
26–मशीनें और सज्जा/उपरकण और संयंत्र								
2500	467	1883	150				2350	
42–अन्य व्यय								
5000	1150	750	3100				1900	
योग 15600	2330	6471	6799		6799	6800	8801	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151, 155 एवं 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लघन नहीं होता है।

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव
वन एवं पर्यावरण

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग – 4

संख्या– 103(P)/XXVII(4)/ दिनांक 02 नवम्बर, 2012

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव (वित्त)

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग – 2
संख्या–1913 (2)/X–2–2012–12(44)2006 दिनांक 05 नवम्बर, 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर सचिव, वित्त (वित्त अनुभाग–4), उत्तराखण्ड, देहरादून।

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव
वन एवं पर्यावरण